न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–15/2019–20

प्रथम पक्षः–धनु महतो, ग्राम–बचरा, थाना–पिपरवार, अंचल–टण्डवा, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः–बिजल महतो, ग्राम–बचरा, थाना–पिपरवार, अंचल–टण्डवा, जिला–चतरा।

1 | 2 | 3

28/11/2023

आदेश

इस वाद की प्रक्रिया प्रथम पक्ष धनु महतो, पिता–स्व0 एतवारी महतो, ग्राम–बचरा, थाना–पिपरवार, जिला–चतरा के अभ्यावेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया है। इस वाद में द्वितीय पक्ष बिजल महतो, पिता–स्व0 फकु महतो, बालमइत देवी, पति–श्री बिजल महतो दोनों ग्राम–बचरा, थाना–पिपरवार, जिला–चतरा है। प्रक्रिया से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	कुल रकबा
बचरा	03	1133	1.35 एकड़

इस वाद की प्रक्रिया में प्रथम पक्ष ने इस न्यायालय को लिखित कथन के माध्यम से यह अवगत कराया है कि प्रश्नगत भूमि हुकुमनामा के माध्यम से प्रथम पक्ष को प्राप्त था। इसी भू–खण्ड में अपनी पत्नी मेकनी देवी को 0.80 एकड भूमि बिक्री किया गया है। इसका दाखिल–खारिज 2011–12 में अंचल कार्यालय से कराया गया तथा दाखिल–खारिज के बाद 0.55 एकड़ भूमि का सरकारी रसीद निर्गत होना चाहिए था, परन्तु अंचल कार्यालय में उनका रसीद नहीं निर्गत किया गया और बताया गया कि इस खाता में मात्र 0.07 एकड़ हीं अब बचा हुआ है और अब लगान रसीद निर्गत नहीं हो सकता है। प्रथम पक्ष का यह भी कथन है कि विपक्षी संख्या–02 के नाम पर इनकी हीं भूमि का 0.48 एकड़ भूखण्ड का दाखिल–खारिज अंचल कार्यालय के द्वारा कर दिया गया है, जो गलत है। प्रथम पक्ष ने गलत दाखिल–खारिज के आधार पर कायम जमाबन्दी को रद्द करने हेतु आग्रह किया है।

दूसरी ओर द्वितीय पक्ष ने लिखित कथन के माध्यम से इस न्यायालय को यह बताया है कि उनका जमाबन्दी बहुत पुराना है तथा पुराना जमाबन्दी को रद्द नहीं किया जा सकता। यह कि प्रथम पक्ष ने गलत और जाली हुकुमनामा बना लिया है और सारा जमीन हडपना चाह रहा है। यह कि विपक्षी के नाम से जो जमाबन्दी कायम है वह वाद संख्या–315/83–84 के माध्यम से कायम हुआ है, जो सक्षम पदाधिकारी के आदेश के वाद कायम हुआ है। यह कि विपक्षी का जमाबन्दी निबंधित केवाला के आधार पर कायम है।

Scanned with OKEN Scanner

इस प्रकार इस वाद की प्रक्रिया में उभय पक्षों के द्वारा दाखिल किये गए लिखित कथन तथा विद्वान अधिवक्ता के तर्क सूनने के बाद यह स्पष्ट होता है कि प्रक्रिया से संबंधित भूमि का मामला जमाबन्दी रद्द करने से संबंधित है। साथ हीं साथ हक़–हक़ियत का भी मामला है। एक पक्ष हुकुमनामा के आधार पर तथा दूसरा पक्ष निबंधित केवाला के आधार पर अपना–अपना हक़–हक़ियत को लेकर दावा करते हैं। हक–हक़ियत के मामले में व्यवहार न्यायालय हीं सक्षम न्यायालय है। अतः उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है। लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

cc Issued

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2024.07.16 13:26:50 +05:30
Location: 192.168.209.12

Scanned with OKEN Scanner